एसबी आदेश सं. 01/2021

फा. सं. एफएस-13/7/2020-एफएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(एफएस डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 03.02.2021

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के अध्यक्षगण

विषय :- फिनैकल में 'सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियमावली-2018' की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न शुल्क/प्रभार लिया जाना।

1. उपर्युक्त विषयक एसबी आदेश संख्या 03/2020 दिनांक 10.01.2020 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि फिनैकल में 'सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियमावली-2018' (जीएसपीआर-2018) की अनुसूची II में निर्धारित शुल्क/प्रभार लिए जाने हेतु आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है। ये शुल्क तत्काल प्रभाव से सभी सीबीएस डाकघरों द्वारा फिनैकल के माध्यम से लेने होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत योजनाओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लिए गए शुल्क/प्रभार सीएसआई में जीएल इंटीग्रेशन के माध्यम से अपने आप जमा हो जाएंगे और इनका विवरण लोंग बुक रिपोर्ट में प्रदर्शित होगा।

3. गैर- सीबीएस डाकघर तबतक एसबी आदेश संख्या 03/2020 दिनांक 10.01.2020 में निर्धारित प्रक्रिया को ही जारी रखेंगे, जबतक कि वे सीबीएस में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं।

4. 'फिनैकल में शुल्क/प्रभार प्रबंधन के लिए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया' तैयार की गई है और इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. अनुरोध है कि यह सूचना सभी सीबीएस डाकघरों को सूचना, निर्देश और आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित की जाए। सभी डाकघरों में सार्वजनिक स्थानों पर इसे नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

प्रति :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार

एसबी आदेश संख्या. 02/2021

ई.फा. सं. एफएस-13/1/2020-एफएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(एफएस प्रभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 26.02.2021

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय: लेखा कार्यालय से संस्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किए बिना ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाकघरों से आहरण की सीमा में वृद्धि के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाकघर द्वारा लेखा कार्यालय की संस्वीकृति के बिना आहरण की वर्तमान सीमा में वृद्धि का मुद्दा कुछ समय से इस निदेशालय के विचाराधीन था। पूर्व में, इस कार्यालय के पत्र सं. 113-01/2001-एसबी दिनांक 14.12.2009 (एसबी आदेश सं. 19/2009) के तहत यह सीमा 2000/- रुपए से बढ़ाकर 5000/- रुपए कर दी गई थी।

आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के तहत शाखा डाकघर स्तर पर बहुत अधिक धनराशि के आहरण के संदर्भ में संबंधित मुद्दे की जांच की गई थी। भारत सरकार तथा अधिकतर राज्यों के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कई गुना बढ़ गए हैं। पेंशन, रूथु बंधु जैसे किसानों के अनुदान, महामारी राहत राशि, चाय बागान श्रमिकों को भत्ते और अन्य राहत भुगतान आदि जैसे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभों के तहत दी जा रही/भुगतान की जा रही राशियों में भी वृद्धि की गई है। कुछ लाभार्थी धनराशियों का संचय एवं आहरण एकमुश्त रूप से करते हैं। सर्कलों से इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन एवं प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, रुपए का कई गुणा अवमूल्यन हुआ है।

उपरोक्त के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, तत्काल प्रभाव से, संबंधित कार्मिक लेखा कार्यालय से किसी संस्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किए बिना ग्रामीण डाक सेवा शाखा डाकघरों से धनराशि निकालने की मौजूदा सीमा को 5000/- रुपए से बढ़ाकर 20,000/- रुपए प्रति व्यक्ति करने का निर्णय लिया गया है।

अनुरोध है कि ये परिवर्तन, तत्काल प्रभाव से सभी डाकघरों के सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-।।)

प्रति:-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

एसबी आदेश सं. 03/2021

फा.सं. 25-11/2016-एफएस-सीबीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफएस प्रभाग)

डाक भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 05.03.2021

12.03.2021

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के अध्यक्ष

विषय: जीडीएस शाखा डाकघरों में नकदी स्वीकृति सीमा और अन्य एसओएल में नकदी लेनदेन सीमा में संशोधन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जीडीएस शाखा डाकघरों में नकदी स्वीकृति की वर्तमान सीमा और अन्य एसओएल खाते में नकदी लेन-देन सीमा में वृद्धि किए जाने का मुद्दा इस निदेशालय में विचाराधीन था। यह सीमा, दिनांक 21.06.2016 के एसबी आदेश संख्या 05/2016 के पैरा 18 और पैरा 27 में निर्धारित की गई थी।

इस मुद्दे की पेंशनधारियों, एसएसए/पीपीएफ खातों के जमाकर्ताओं, ग्रामीण जमाकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों और फिनेकल में जीएल इंटीग्रेशन के माध्यम से स्वचालित लेखा तंत्र की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जांच की गई थी।

उपरोक्त के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 21.06.2016 के एसबी ओदश संख्या 05/2016 के पैरा 18 और पैरा 27 में निर्धारित सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, दिनांक 21.06.2016 के एसबी आदेश 05/2016 के पैरा 18 और पैरा 27 के पाठ में निम्नानुसार बदलाव किए गए हैं:-

(i) पैरा-18: कोई भी बीपीएम, एक दिन में, एक खाते में 50,000/- रूपए से अधिक नकदी जमा लेन-देन स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा, जब तक पीपीएफ / एससीएसएस / एमआईएस

/केवीपी/ एनएससी स्कीमें, आरआईसीटी सीबीएस ऐप में उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक इन खातों में जमा, केवल आहरण फार्म या चैक द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा।

(ii) पैरा-27: किसी भी सीबीएस डाकघर द्वारा जारी किए गए सभी पीओएसबी चैक, यदि किसी सीबीएस डाकघर में प्रस्तुत किए जाते तो उन्हें 'एट पार चैक' (सममूल्य) माना जाएगा और समाशोधन के लिए नहीं भेजा जाएगा। किसी अन्य एसओएल में, एक दिन में, एक खाते से, 50,000/- रूपए से अधिक के किसी भी लेन-देन कार्य को अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुरोध है कि ये बदलाव, तत्काल प्रभाव से सभी डाकघरों के सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाए जाएं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-।।)

प्रति: अंग्रेजी पाठ के अनुसार

एसबी आदेश सं. 01/2021

फा. सं. एफएस-13/7/2020-एफएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(एफएस डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 09.04.2021

अनुशेष

सेवा में,
सभी सर्कलों/क्षेत्रों के अध्यक्ष

विषय :- फिनैकल में'सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम (जीएसपीआर)-2018' की अनुसूची II में निर्धारित विभिन्न शुल्कों का संग्रहण।

महोदया/महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक बचत बैंक आदेश संख्या 03/2020 दिनांक 10.01.2020 तथा बचत बैंक आदेश संख्या 01/2021 दिनांक 23.02.2021 का अवलोकन करें।

2. इस कार्यालय को सर्कलों और ग्राहकों से ऐसे मामले प्राप्त हो रहे हैं, कि एक कैलेंडर वर्ष में 10 नि:शुल्क चेकों से अधिक की पीओएसबी चेक बुक जारी करने पर जीएसपीआर-2018, अनुसूची II में यथा निर्धारित शुल्क संग्रहण किया जा रहा है।

3. 20 पन्ने वाली पीओएसबी चेक बुक के मौजूदा स्टॉक को ध्यान में रखते हुए निर्धारित शुल्क संग्रहण की समीक्षा करने हेतु इस मुद्दे को नोडल मंत्रालय (डीईए / एमओएफ) के साथ उठाया गया था। प्रचालन संबंधी कठिनाइयों और जनताको हो रही असुविधाको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं. 1/3/2021-एनएस दिनांक 05.04.2021के तहत सहमति व्यक्त की है कि किसी डाकघर में 20 पन्ने वाली चेक बुकों का मौजूदा स्टॉकसमाप्त होने तक एक कैलेंडर वर्ष में पीओएसबी खाताधारकों को 20 पन्ने वाली चेक बुक नि:शुल्क जारी की जा सकती है।

4. यदि किसी डाकघर के स्टॉक में 10 पन्नों की चेक बुक उपलब्ध हैं, तो वे डाकघर एक कैलेंडर वर्ष में 10 पन्ने वाली केवल एक चेक बुक ही खाताधारक को नि:शुल्क प्रदान करेंगे। उसके बाद जारी की जाने वाली प्रत्येक चेक बुक के लिए जीएसपीआर-2018,अनुसूची IIके अनुसार यथा निर्धारित शुल्कलिया जाएगा।

5. इसके अतिरिक्त, पीओएसबी चेक बुक जारी करने के लिए संग्रहित किए गए शुल्क की वापसी संबंधी किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. अनुरोध है कि इस संशोधन को सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी डाकघरों को परिचालित किया जाए।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी)

प्रति :-
अंग्रेजी पाठ के अनुसार

फा.सं. 107-01/2020-एसबी

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफएस डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 15.06.2021
29.06.2021

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के अध्यक्ष।

विषय : एसएएस/एमपीकेबीवाई एजेंसी प्रणाली के अंतर्गत आहरण प्रपत्र (एसबी-7) के माध्यम से निवेश को अनुमति प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंटों/एजेंट संघों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के संबंध में।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय को अनेक एजेंटों/एजेंट संघों से अभ्यवादेन प्राप्त हुए हैं, जोकि विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं (जैसेकि आरडी/एमआईएस/टीडी/केवीपी/एनएससी) में, एसएएस/एमपीकेबीवाई एजेंसी प्रणाली के अंतर्गत, आहरण प्रपत्र (एसबी-7) के माध्यम से निवेश को अनुमति प्रदान करने के संबंध में हैं।

2. चूंकि एसएएस एजेंसी नियमावली, 1959/ एमपीकेबीवाई एजेंसी नियमावली, 1972 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अत: इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ विचारार्थ उठाया गया था।

3. जांच के उपरांत, वित्त मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा.सं.14/1/2021-एनएस दिनांक 19.02.2021 के तहत इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है ताकि निवेशकों की धनराशि की सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा निवेश की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता/धोखाधड़ी न हो।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कोई भी डाकघर,विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं में, एसएएस/एमपीकेबीवाई एजेंसी प्रणाली के अंतर्गत, आहरण प्रपत्र (एसबी-7) के माध्यम से निवेश की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

5. अनुरोध है कि इन दिशा-निर्देशों को, सभी डाकघरों के सूचनार्थ, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(देवेन्द्र शर्मा)

सहायक निदेशक (एसबी-।।)

प्रति : अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

एस.बी. आदेश सं. 11/2021

सं. 107-01/2020-एसबी

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफ एस डिवीजन)

डाक भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 21.06.2021

08.07.2021

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के अध्यक्ष।

विषय : राष्ट्रीय (लघु) बचत योजना के परिपक्वता मूल्य का, उसी अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय (लघु) बचत योजना में, पुनर्निवेश किए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय को एसएएस एजेंटों से अनेक प्रश्न/अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं, जोकि किसी भी राष्ट्रीय बचत योजना के परिपक्वता मूल्य का पुनर्निवेश कर नया खाता खोलने/बचत पत्र खरीदने के संबंध में हैं।

एजेंटों/फील्ड यूनिटों में किसी भी संशय को दूर करने के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी ने, किसी भी राष्ट्रीय (लघु) बचत योजना के परिपक्वता मूल्य से, किसी खाताधारक द्वारा, सीधे अथवा किसी एसएएस एजेंट के माध्यम से, नया खाता खोल कर/बचत पत्र का क्रय कर, पुनर्निवेश किए जाने के संबंध में मौजूदा प्रावधानों को दोहराने का निर्णय लिया है।

<u>पुनर्निवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-</u>

1. संपूर्ण परिपक्वता मूल्य अथवा उसके किसी भाग का पुनर्निवेश किए जाने हेतु, खाताधारक को,स्वयं अथवा एसएएस एजेंट के माध्यम से, डाकघर में नया डाकघर बचत खाता खोलना होगा अथवा पुराना बचत खाता जारी रखना होगा।

<u>2. खाताधारक द्वारा पुनर्निवेश (सीधे पुनर्निवेश) की प्रक्रिया</u>

i. यदि कोई खाताधारक, राष्ट्रीय (लघु) बचत योजना की पूरी राशि अथवा उसके किसी भी भाग का पुनर्निवेश करना चाहता है, तो उसे परिपक्व हो गए खाते के संबंध में, खाता बंद करने का फॉर्म (एसबी-7ए), पासबुक और निकासी फॉर्म (एसबी-7) अथवा अपने डाकघर बचत खाते की डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) चेक बुक, संबंधित

डाकघर में जमा करनी होगी। इसके पश्चात, उसे नया खाता खोले जाने के लिए पे-इन-स्लिप के साथ खाता खोलने का फॉर्म (एओएफ) जमा करना होगा।

ii. यदि किसी खाताधारक द्वारा जीएसपीआर-2018 के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी केवाईसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपने केवाईसी दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं, तो उसे उपरोक्त दस्तावेजों के साथ अद्यतन केवाईसी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

iii. खाताधारक द्वारा, खाता बंद करने के फॉर्म (एसबी-7ए) के भुगतान भाग में अथवा पूर्व-मुद्रित केवीपी/एनएससी के पृष्ठभाग में **'परिपक्वता मूल्य मेरे डाकघर बचत खाता सं. ..... में जमा किया जाए'** लिखकर अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे।

iv. डाकघर बचत बैंक के निकासी फॉर्म (एसबी-7) के भुगतान भाग में अथवा डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) चेक के पृष्ठभाग में, खाताधारक द्वारा **'..... रु. मूल्य के बंद किए गए खाता सं. ..... की एवज में ..... योजना में पुनर्निवेश हेतु'** लिखकर अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे।

v. डाकघर के काउंटर सहायक द्वारा प्राप्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी और यदि सभी दस्तावेज पूरे पाए जाते हैं, तो वह मौजूदा खाते को बंद करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा और परिपक्वता मूल्य को खाताधारक के डाकघर बचत खाते में अंतरित करेगा।

vi. पर्यवेक्षक द्वारा, खाता बंद किए जाने की पुष्टि की जाएगी।

vii. खाता बंद किए जाने के पश्चात, काउंटर डाक सहायक, खाताधारक/अवयस्क के सीआईएफ के अंतर्गत नया खाता खोलेगा और यह खाता खोलने के दौरान,निकासी फॉर्म (एसबी-7) अथवा पीओएसबी चेक में उल्लिखित राशि, खाताधारक के डाकघर बचत खाते से अंतरित की जाएगी।

viii. पर्यवेक्षक द्वारा नया खाता खोले जाने तथा खाते में निधि के अंतरण की पुष्टि की जाएगी।

ix. काउंटर डाक सहायक द्वारा, खाताधारक को नए खोले गए खाते की पासबुक उपलब्ध करवाई जाएगी।

टिप्पणी :- (i) पुनर्निवेश, राशि के समान मूल्य का या उससे कम मूल्य का या क्रेडिट किए गएपरिपक्वता मूल्य तक का किया जा सकता है।

(ii) पुनर्निवेश, उसी सीआईएफ के अंतर्गत तथा खाताधारक/संयुक्त खाताधारकों में से किसी एक/खाताधारक के संरक्षण में किसी अवयस्क के नाम ही किया जा सकता है अर्थात् परिपक्व हुए खाते का खाताधारक, पुनर्निवेश के अंतर्गत नए खोले गए खाते का एकमात्र खाताधारक अथवा संयुक्त खाताधारकों में से एक अथवा अवयस्क/विक्षिप्त व्यक्ति का संरक्षक होगा।

3. एसएएस एजेंट के माध्यम से पुनर्निवेश की प्रक्रिया

एसएएस एजेंसी नियमावली/मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत, निकासी फॉर्म (एसबी-7) के माध्यम से परिपक्वता मूल्य का पुनर्निवेश अनुमेय है। तथापि, एसएएस एजेंसी नियमावली के तहत,कोई भी नया निवेश, केवल नकद (20,000/- रु. तक) अथवा चेक के माध्यम से ही किया जा सकता है।

i. एजेंट, एसएएस एजेंसी नियमावली के अनुसार, प्राधिकृत एजेंट रसीद बुक (चेक) में से, निम्नलिखित दस्तावेजों की रसीद खाताधारक को जारी करेगा, जिन पर उपयुक्त टिप्पणी लिखी होगी। इस रसीद पर चेक नं. के स्थान पर परिपक्वता प्राप्त जमा राशि/बचत पत्रों का संपूर्ण विवरणलिखा जाएगा,जिसे पुनर्निवेशित किया जाना है।

ii. यदि कोई खाताधारक, एसएएस एजेंट के माध्यम से किसी योजना (टीडी/एमआईएस/केवीपी/ एनएससी) में अपने परिपक्वता मूल्य का पुनर्निवेश करना चाहता है, तो वह खाताधारक, प्राधिकृत एजेंट रसीद की एक प्रति प्राप्त करने के बाद एसएएस एजेंट को निम्नलिखित दस्तावेज सौंपेगा:-

क) पासबुक/परिपक्व (केवीपी/एनएससी) प्रमाणपत्र।

ख) खाता बंद करने का फॉर्म (एसबी-7ए)

ग) जमा फॉर्म के साथ नई योजना का खाता खोलने का फॉर्म (एओएफ)।

घ) डाकघर बचत खाते की पासबुक या डाकघर बचत बैंक चेक के साथ निकासी फॉर्म (एसबी7)।

टिप्पणी: यदि जमाकर्ता द्वारा जीएसपीआर-2018 और समय-समय पर जारी केवाईसी दिशानिर्देशों में निर्धारित केवाईसी दस्तावेज पहले जमा नहीं किए गए हैं, तो उन्हें आवश्यक केवाईसी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

iii. खाता बंद करने के फॉर्म (एसबी -7 ए) के भुगतान भाग में या पूर्व-मुद्रित केवीपी / एनएससी के पृष्ठ भाग में, खाताधारक द्वारा '**परिपक्वता मूल्य मेरे डाकघर बचत खाता संख्या .....में जमा करें**'लिखकर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

iv. डाकघर बचत खाते के निकासी फॉर्म (एसबी -7) के भुगतान भाग में या डाकघर बचत बैंक चेक के पीछे खाताधारक द्वारा, '**बंद किए गए खाता सं. ..... की राशि .....रुपए का एजेंट .....(एजेंट का नाम और सीए नंबर) के माध्यम से.....योजना में पुनर्निवेश हेतु**' लिख कर अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे।

v. डाकघर का काउंटर पीए प्राप्त दस्तावेजों की जांच करेगा और यदि सभी दस्तावेज ठीक हैं, तो मौजूदा खाते को बंद करने और खाताधारक के डाकघर बचत खाते में परिपक्वता मूल्य स्थानांतरित करने के लिए नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया अपनाएगा।

vi. पर्यवेक्षक द्वारा, खाते को बंद किए जाने की पुष्टि की जाएगी।

vii. खाता बंद किए जाने के बाद, काउंटर पीए खाताधारक/अवयस्क के सीआईएफ के अंतर्गत नया खाता खोलेगा और यह खाता खोलने के दौरान, निकासी फॉर्म (एसबी-7) या पीओएसबी चेक में उल्लिखित राशि, खाताधारक के डाकघर बचत खाते से अंतरित की जाएगी।

viii. खाता खोलने के दौरान संबंधित एजेंट के एजेंसी कोड का चयन करें।

ix. पर्यवेक्षक द्वारा नया खाता खोले जाने और खाते में निधि के अंतरण की पुष्टि की जाएगी।

x. काउंटर पीए द्वारा खोले गए नए खाते की पासबुक, बंद किए गए खाते की रद्द की गई पासबुक और विधिवत दिनांक मुहर सहित प्राधिकृत एजेंट रसीद, एसएएस एजेंट को सौंपी जाएगी।

xi. एसएएस एजेंट द्वारा नए खाते की पासबुकतथाबंद किए गए खाते की रद्द की गई पासबुक, खाताधारक को सौंपी जाएगी और खाताधारकों से अधिकृत एजेंट रसीद की कॉपी वापस लेकर उसे अधिकृत एजेंट रसीद की एजेंट कॉपी पर चिपका दिया जाएगा।

टिप्पणी: - (i) पुनर्निवेश, राशि के समान मूल्य का या उससे कम मूल्य का या क्रेडिट किए गए परिपक्वता मूल्य तक का जमा किया जा सकता है।

(ii) पुनर्निवेश, उसी सीआईएफ के अंतर्गत तथा खाताधारक/संयुक्त खाताधारकों में से किसी एक/खाताधारक के संरक्षण में किसी अवयस्क के नाम ही किया जा सकता है अर्थात् परिपक्व हुए खाते का खाताधारक, पुनर्निवेश के अंतर्गत नए खोले गए खाते का एकमात्र खाताधारक अथवा संयुक्त खाताधारकों में से एक अथवा अवयस्क/विक्षिप्त व्यक्ति का संरक्षक होगा।

4. इस संशोधन को सभी सीबीएस डाकघरों के सूचनार्थ, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित करें।

5. इसे उप महानिदेशक (एफएस) के अनुमोदन से जारी किया जाता है

भवदीय,

(देवेंद्र शर्मा)

सहायक निदेशक (एसबी-II)

प्रति:-अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

बचत बैंक आदेश संख्या 12/2021

फा. सं. एफएस-10/17/2020-एफएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफएस डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली – 110 001

दिनांक: 22 / 29.06.2021

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय : राष्ट्रीय बचत योजनाओं के तहत संयुक्त ख प्रकार के खातों के संचालन पर स्पष्टीकरण संबंधी।

***

सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियमावली, 2018 दिनांक 05.10.2018 के नियम 3(1)(i) में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि **खाते के संचालन** का अर्थ है किसी खाते को खोलना, जमा करना, अंतरण या निकासी।

2. कर्नाटक सर्कल के द्वारा पत्र सं. एसबी/04/एमआईएस/बीजी(2)/17-18 दिनांक 27.01.2021 के माध्यम से यह मामला उठाया गया है कि अन्य संचालन जैसे कि खाता बंद करना और दूसरी पासबुक के लिए आवेदन करना इन नियमों में परिभाषित नहीं है और इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

3. इस कारण से, इस मामले को आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा गया और वित्त मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2021-एनएस दिनांक 14.06.2021 के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि डाक विभाग यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संयुक्त ख प्रकार के खाते में सभी प्रकार के संचालन, जमाकर्ताओं में से किसी एक के द्वारा या जीवित जमाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए जाने की अनुमति है। डाक विभाग उक्त खाते का किसी भी प्रकार का संभावित दुरुपयोग रोकने के लिए दिशानिर्देश स्वयं तैयार कर सकता है।

...2...

4. तदनुसार, संयुक्त ख प्रकार खातों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं :-

(i) राष्ट्रीय बचत योजनाओं के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को छोड़कर शेष सभी योजनाओं में संयुक्त जमाकर्ताओं में से किसी एक को या जीवित खाताधारक को संयुक्त ख प्रकार के खाते में खाता बंद करने, दूसरी पासबुक जारी करने, खाते के हस्तांतरण आदि सभी कार्य करने की अनुमति होगी।

(ii) गैर-सीबीएस डाकघरों में खाते / प्रमाण पत्र के हस्तांतरण अथवा शाखा डाकघरों में स्थानांतरण के लिए किए गए आवेदन में, "क" प्रकार या "ख" प्रकार के संयुक्त खाते के सभी जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जाएंगे, चूंकि वहां सभी जमाकर्ताओं के नमूने हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है।

(iii) एससीएसएस खाते के मामले में, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2019 के नियम 3(6) के अनुसार चूंकि पूरी जमा राशि का केवल प्रथम खाताधारक ही जिम्मेदार होता है, अत: संयुक्त ख प्रकार खाते के मामले में केवल तिमाही ब्याज की ही निकासी संयुक्त खाताधारकों में से कोई एक खाताधारक अथवा जीवित खाताधारक कर सकेगा। शेष संयुक्त ख प्रकार एससीएसएस खातों के मामले में, या तो प्रथम खाताधारक सभी संचालन कर सकता है, अथवा विभिन्न संचालन के सभी आवेदन प्रपत्रों में प्रथम खाताधारक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

(iv) संयुक्त ख प्रकार के बचत खाते के लिए एटीएम कार्ड जारी करने/ईबी/एमबी सक्रिय करने के अनुरोध के मामले में, प्रत्येक संयुक्त खाताधारक से अलग-अलग आवेदन पत्र (एसबी-एटीएम1) प्राप्त किए जाएंगे।

5. इसे सभी डाकघरों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया जाए।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

29/6/2021

(टी. सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रतिलिपि :-
अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

एस.बी. आदेश सं. 15/2021

फाइल सं. 112-03/2019-एसबी

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफ.एस. डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक:- 29.06.2021

13.07.2021

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के अध्यक्ष,

विषय : राष्ट्रीय बचत योजना के तहत आहरण/खातों को बंद कराए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

***

दिनांक 05.10.2018 के जी.एस.आर. सं. 1003(ङ) के अंतर्गत जारी सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018 के नियम-12 जिसे दिनांक 18.12.2019 के एस.बी. आदेश सं. 13/2019 के तहत परिचालित किया गया था, के अनुसार, ***"परिपक्वता राशि अथवा आंशिक निकासी अथवा ब्याज के भुगतान के समय जमाकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा और उक्त प्राधिकृत अधिकारी, जमाकर्ता की पहचान की पुष्टि करेगा।"*** इसका अर्थ यह है कि जमाकर्ता द्वारा, लेन-देन कार्य कर रहे डाकघर के प्राधिकृत कार्मिक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये जाएंगे। अत: जमाकर्ता की उपस्थिति आवश्यक है तथा कोई भी भुगतान संदेशवाहक के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

2. महाराष्ट्र सर्कल ने दिनांक 22.06.2021 की अपनी ई-मेल के तहत कहा कि खाता बंद करने के फार्म (एसबी-7ए तथा एसबी-7बी) में संदेशवाहक के लिए कोई प्रावधान नहीं है तथा अनुरोध किया कि इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें।

3. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि

i). वित्त मंत्रालय द्वारा जी.एस.पी.आर. 2018 तथा विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं, 2019 के अंतर्गत अधिसूचित प्रपत्रों में संदेशवाहक का कोई प्रावधान नहीं है।

...2...

ii). जी.एस.पी.आर. 2018 के नियम-12 के तहत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, संदेशवाहक को किसी भी प्रकार के भुगतान यथा परिपक्वता राशि, आंशिक आहरण अथवा ब्याज के भुगतान की अनुमति नहीं है।

iii). यद्यपि, आहरण फॉर्म (एसबी-7) में संदेशवाहक के लिए प्रावधान है परन्तु संदेशवाहक को, एसबी-7, एसबी-7ए, एसबी-7बी तथा एसबी-7सी के माध्यम से आहरण/खाता बंद कराने की अनुमति नहीं होगी।

4. इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि तत्कालिक आवश्यकताओं (उदाहरण के लिए बीमारी/ वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान में छूट दिए जाने हेतु, यह मामला वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा गया है। इस संबंध में, नोडल मंत्रालय का निर्णय प्रतीक्षित है।

5. इसे सभी डाकघरों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाए।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा जारी किया जाता है।

31/7/2021

(टी सी विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रति:-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

एसबी आदेश सं. 17/2021

ईफा.सं.113-03/2017-एसबी(पार्ट-I)

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफएस डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 01 जुलाई, 2021

सेवा में,

सभी डाक सर्कलों/ क्षेत्रों के अध्यक्ष

विषय: राष्ट्रीय (लघु) बचत योजनाओं के लिए दिनांक 01.07.2021 से ब्याज दरों में परिशोधन के संबंध।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेंश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट डिवीजन) ने ज्ञापन सं. 1/4/2019-एनएस दिनांक 30.06.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा यह सूचित किया है कि **वित्तीय वर्ष 2021-22 की** दूसरी **तिमाही (01** जुलाई, **2021 से प्रारंभ तथा 30** सितम्बर, **2021 को समाप्त) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाएं) पर ब्याज दर अपरिवर्तित रहेंगी, जोकि वित्तीय वर्ष 2021-22 (01** अप्रेल, **2021 से 30** जून, **2021 तक) की तिमाही के लिए अधिसूचित की गई थीं।** सुलभ संदर्भ हेतु विवरण नीचे प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	**विभिन्न योजनाएं**	**01.04.2021 से 30.06.2021 तक प्रभावी ब्याज दर**	**01.07.2021 से 30.09.2021 तक प्रभावी ब्याज दर (अपरिवर्तित)**	**ब्याज गणना की आवृत्ति**
01.	डाकघर बचत खाता	4.0	**4.0**	वार्षिक
02.	1 वर्षीय सावधि जमा	5.5	**5.5**	तिमाही
03.	2 वर्षीय सावधि जमा	5.5	**5.5**	तिमाही
04.	3 वर्षीय सावधि जमा	5.5	**5.5**	तिमाही
05.	5 वर्षीय सावधि जमा	6.7	**6.7**	तिमाही
06.	5 वर्षीय आवर्ती जमा योजना	5.8	**5.8**	तिमाही
07.	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	7.4	**7.4**	तिमाही तथा प्रदत्त
08.	मासिक आय खाता	6.6	**6.6**	मासिक तथा प्रदत्त
09.	राष्ट्रीय बचत पत्र (VIIIवां इशु)	6.8	**6.8**	वार्षिक
10.	लोक भविष्य निधि योजना	7.1	**7.1**	वार्षिक
11.	किसान विकास पत्र	6.9 (124 माह में पूरे हो जाएंगे)	**6.9 (124 माह में पूरे हो जाएंगे)**	वार्षिक
12.	सुकन्या समृद्धि खाता योजना	7.6.	**7.6**	वार्षिक

2. अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाए। साथ ही इसे सार्वजनिक स्थलों पर सभी डाकघरों के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आपका,

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-।।)

प्रतिलिपि:-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

एसबी आदेश सं. 18/2021

फाइल सं. एफएस-10/27/2021-एफएस-डीओपी

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफ. एस. डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 05 / 27.07.2021

सेवा में,

सभी सर्कलों / क्षेत्रों के अध्यक्ष।

विषय :- ब्याज आय हेतु वित्तीय लेन-देन कार्यों का विवरण प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

***

दिनांक 29.03.2017 के एसबी आदेश सं. 01/2017 के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग, सीबीडीटी) ने जीएसआर 175(ङ) के अंतर्गत, दिनांक 12.03.2021 को जारी अधिसूचना के तहत, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114ई में निम्नलिखित उप धारा को शामिल किया है :-

-(5क) आय विवरणी भरने से पूर्व के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम की धारा 285खक की उप-धारा (1) के अधीन, वित्तीय लेन-देन कार्यों का विवरण, जिसमें नीचे दी सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित, सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड, लाभांश आय तथा ब्याज आय की इकाइयों के लेन-देन कार्यों पर लाभ से संबंधित जानकारी सम्मिलित हो, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्रारूप, अंतराल और रूप में दी जाएगी जैसा कि बोर्ड के अनुमोदन सहित यथास्थिती प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, अर्थात् :-

क्रं. सं.	*संव्यवहार की प्रकृति*	*व्यक्ति का वर्ग {रिपोर्टिंग व्यक्ति}*
1.	*म्यूचुअल फंडस इकाई या सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लेन-देन कार्यों पर अभिलाभ*	*(i) मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज* *(ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) में परिभाषित निक्षेपागार* *(iii) मान्यता प्राप्त समाशोधन निकाय;* *(iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 के 15) की धारा 12 की उप-धारा (ञ) के अंतर्गत पंजीकृत अंश जारी व हस्तांतरण अभिकर्ता व रजिस्ट्रार*
2.	*लाभांश आय*	*कंपनी*
3.	*ब्याज आय*	*(i) बैंकिंग कंपनी अथवा सहकारी बैंक, जिसमें बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 (1949 का 10) उक्त अधिनियम की धारा 51 में वर्णित किसी बैंक अथवा बैंकिंग संस्थानों सहित लागू होता है।*

		*(ii) **भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड 1 में निर्दिष्ट पोस्टमास्टर जनरल*** *(iii) गैर-बैंकिंग आर्थिक कंपनी, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 6) की धारा 45-1क के अधीन जनसाधारण से जमा राशि लेने या रखने, पंजीकरण प्रमाण पत्र रखती है।*

2. तदनुसार, आयकर विवरणी भरने से पूर्व के प्रयोजनों के लिए, सीबीडीटी, आयकर निदेशालय (पद्धति) ने दिनांक 20.04.2021 की अधिसूचना सं. 2 के तहत, ब्याज आय हेतु वित्तीय लेन-देन कार्यों के विवरण (एसएफटी) के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रारूप, प्रक्रिया तथा दिशानिर्देश जारी किए हैं।

3. दिनांक 12.03.2021 के जीएसआर सं. 175(ङ) तथा दिनांक 20.04.2021 की सीबीडीटी अधिसूचना सं. 2/2021 की प्रतियां संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

4. निम्नलिखित लेन-देन कार्यों से संबंधित वित्तीय लेन-देन कार्यों के विवरण (एसएफटी) फिलहाल सर्कलों/क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं :-

(i) किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक खातों में कुल दस लाख रुपए या उससे अधिक की नकद जमा।

(ii) किसी व्यक्ति की एक या एक से अधिक सावधि जमाओं (किसी अन्य सावधि जमा के नवीकरण के माध्यम से किए गए सावधि जमा से भिन्न) में किसी वित्तीय वर्ष में कुल दस लाख रुपए या उससे अधिक की सावधि जमा।

5. उपरोक्त वित्तीय लेन-देन कार्यों के विवरणों (एसएफटी) के अतिरिक्त, सभी सर्कल/क्षेत्र, सर्कल/क्षेत्रीय स्तरों पर भी ब्याज आय के लिए एसएफटी के प्रस्तुतीकरण पर कार्रवाई करेंगे।

6. सीबीएस डाकघरों में लेन-देन कार्यों के संदर्भ में एसएफटी के प्रस्तुीकरण संबंधी सर्कल-वार विवरण सीईपीटी, चेन्नई द्वारा सर्कलों को अग्रेषित किया जाएगा।

7. संचय पोस्ट हेल्प डेस्क टीम, गैर-सीबीएस डाकघरों (जहां संचय पोस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है) में होने वाले लेन-देन कार्यों से संबंधित डेटा एकत्र करने हेतु एक साधन उपलब्ध करवाएगी।

8. अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।

9. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

27/7/2021

<u>संलग्न : उपरोक्तानुसार</u>

(टी. सी. विजयन)
सहायक निदेशक (एसबी-I)

प्रति : अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

फाइल सं. एफएस-14/3/2020-एफएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफ. एस. डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 20.07.2021

28.07.2021.

सेवा में,

सभी सर्कलों/परिमंडलों के अध्यक्ष।

विषय :- एस. बी. आदेश सं. 34/2020 के भाग-क के पैरा-xi में संशोधन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय को जमाकर्ताओं से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि डाकघर, एसबी-3/एओएफ के उपलब्ध न होने/पता न लगने के कारण, खाता बंद करते समय/समयपूर्व खाता बंद कराते समय उनसे नया 'खाता खोलने का फॉर्म'भरने हेतु विवश कर रहे हैं।

2. एसबी आदेश सं. 34/2020 दिनांक 07.10.2020के भाग-क के पैरा-xi में विहित है कि 'जहां कहीं भी एसबी-3/एओएफ उपलब्ध नहीं है, वहां नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ नया एओएफ लेना होगा तथा खाता बंद कराने के फॉर्म के साथ लगाते हुए इसे एसबीसीओ को भेजना होगा।'

3. जमाकर्ताओं के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा एओएफ की बर्बादी को रोकने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अनुसार दिनांक 07.10.2020 के एसबी आदेश के भाग-क के पैरा-xiमें संशोधन करने का निर्णय लिया :-

एसबी आदेश सं. 34/2020 के भाग-क के पैरा-xi को निम्नलिखित मूल पाठ से बदला जाना चाहिए :-

xi) जहां कहीं, सभी प्रयासों के पश्चात भी एसबी-3/खाता खोलने के फॉर्म का पता नहीं लग रहा है, एसपीएम/एपीएम खाता बंद करने/समयपूर्व खाता बंद करने के फॉर्म के ऊपर "सभी प्रयासों के पश्चात भी मूल एसबी3/एओएफ को नहीं खोजा जा सका" लिखेंगे तथा अपने हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे मामलों में नए/संशोधित एओएफ आवश्यक नहीं है।

नोट :- 1. संबंधित प्रभारी,एसबीसीओ, ऐसे डाकघरों पर निगरानी रखेंगे जो आदतन मूल एसबी-3/एओएफ नहीं लगाते हैं और खाता बंद करने/समयपूर्व खाता बंद करने पर उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं तथा ऐसी अनियमितता करने वाले डाकघरों के संबंध में संबंधित डिवीजन प्रमुख को सूचित करेंगे।

2. संबंधित डिवीजन प्रमुख, उक्त डाकघर में ऐसे महत्वपूर्ण रिकार्ड (अर्थात-एसबी-3/एओएफ) को सुरक्षित न रख पाने/रख-रखाव न करने/पता न लगा पाने के संबंध में जांच करेंगे तथा गलती करने वाले कार्मिक (कार्मिकों) के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

3. अनुरोध है कि इन संशोधनों को सभी संबंधितों के सूचनार्थ, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाए।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-।।)

प्रति :-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

एसबी आदेश संख्या 22/2021

फा. सं. एफएस-61/5/2020-एफएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(एफएस प्रभाग)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 22.07. 2021
28.07.2021.

प्रति,
सभी सर्कलों/क्षेत्रों के अध्यक्ष

विषय:- डाकघर बचत बैंक(पीओएसबी)नियम पुस्तिका खंड II के नियम 43(2)(vi) में संशोधन के संबंध में।

महोदया/महोदय,

इस कार्यालय को जमाकर्ताओं के कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनमें 01.07.2016 से पहले जारी किए गए बचत प्रमाण पत्रों के डुप्लिकेट प्रमाण-पत्र (केवीपी / एनएससी) जारी करने के लिए जमानती का शोधन-क्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करने की बात कही गई है।

2. जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा डाकघर बचत बैंक(पीओएसबी) नियम पुस्तिका खंड II के नियम 43(2)(vi) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

3. डाकघर बचत बैंक नियम पुस्तिका (पीओएसबी) खंड II के नियम 43 (2) (vi) :- इस उपनियम को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क) यदि जमानत पर्याप्त शोधन-सक्षम है या बैंक जमानत प्रस्तुत किया गया है, तो जमानत मान्य है।

ख) यदि क्षतिपूर्ति बांड स्वीकार करने वाला प्राधिकारी ज़मानत की शोधन-क्षमता से संतुष्ट नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के द्वारा शोधन-क्षमता सुनिश्चित की जा सकती है: -

i) यदि जमाकर्ता केंद्र अथवा राज्य सरकारअथवा स्थानीय निकाय सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी अन्य निकाय का कर्मचारी है, तो उसके 12 महीने के वेतन की सीमा तक (भत्तों को छोड़कर), जितना नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

ii) जमानती के पिछले वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न (आईटीआर) में उल्लिखित वार्षिक आय के आधार पर।

iii) जमानती के नियोक्ता द्वारा जारी पिछले वर्ष के वार्षिक आय प्रमाण-पत्र के आधार पर।

iv) ज़मानती की संपत्ति के अधिकार क्षेत्र वाले राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी शोधन-क्षमता प्रमाण-पत्र।

4. अनुरोध है कि इन संशोधनों को सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को परिचालित किया जाए।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(देवेंद्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

प्रतिलिपि :

अंग्रेजी पाठ के अनुसार

फाईल सं.एफएस-13/7/2020-एफएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफ.एस.विभाग)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक:-28/06/2021

29/07/2021.

सेवा में,

सर्कलों/क्षेत्रों के सभी प्रमुख

विषय:- सीबीएस डाकघरों में एमटीएस/जीडीएस के लिए पासबुक को अद्यतन करने/ प्रिंटिंग के विकल्प के संबंध में।

महोदय/महोदया,

सर्कल डाकघरों से सीबीएस काउंटरों पर कार्यभार को व्यवस्थित करने हेतु व्यस्त उप डाकघरों व प्रधान डाकघरों में पासबुक को अद्यतन/प्रिंटिंग के लिए अलग से काउंटर खोलने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं।

2. सर्कलों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए और जमाकर्ताओं को पासबुक अद्यतन कराने में सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने सीबीएस डाकघरों में एमटीएस/जीडीएस के लिए एक अलग कार्य (कार्य श्रेणी) तैयार करने का निर्णय लिया है।

3. सीबीएस डाकघरों में एमटीएस/जीडीएस के लिए फिनेकल में निम्नलिखित कार्य श्रेणीयों को तैयार किया गया है एवम् उस कार्य श्रेणी के लिए निम्नलिखित मेन्यू उपलब्ध होंगें:-

(i) एमटीएस/जीडीएस के लिए उपभोक्ता कार्य श्रेणी :- 008

क्र. सं.	मेन्यू	विशेषताएँ
1.	एचपीबीपी (HPBP)	पासबुक में प्रविष्टियां प्रिंट करने के लिए
2.	एसएसीसीबीएएल (HACCBAL)	खाते के ब्यौरे की जांच के लिए
3.	एचएएफआई (HAFI)	खाता संख्या देकर खाते की अंतिम प्रिंट दिनांक की जांच हेतु
4.	एचपीआर (HPR)	पासबुक के ब्यौरे को दर्शाने के लिए

4. एमटीएस/जीडीएस के द्वारा पासबुक के अद्यतन/प्रिंटींग के लिए डाकघरों में अलग से काउंटर खोलने की आवश्यकता के आकलन के पश्चात सर्कल अपने सीबीएस सीपीसी से सीईपीटी चेन्नई के द्वारा 'यूजर क्रीएशन टेमप्लेट' में संबंधित जीडीएस/एमटीएस की जानकारी भेज सकते हैं। सीईपीटी के द्वारा पहचान किए गए एमटीएस/जीडीएस के उपयोगकर्ता पहचान जारी करने के पश्चात्, सम्बन्धित सर्कल प्रधान डाकघरों/व्यस्त उपडाकघरों में पासबुक प्रिंटर के जरिये पासबुक में प्रविष्टियों के उन्नयन/प्रिंटिंग के लिए अलग से काउंटर खोल सकते हैं।

5. डीडीजी(एफ एस) के अनुमोदन से जारी

आपका

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रति:-अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

एसबी आदेश सं. 14/2021

फाइल सं.-25-11/2016-एफएस-सीबीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफ.एस.डिविजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक:-28/06/2021

29/07/2021

सेवा में,

सभी सर्कल/परिमंडल अध्यक्ष।

विषय : सी बी एस डाकघरों में बंद स्कीमों अर्थात् एनएसएस-87 एवम् एनएसएस-92 से जुड़े खातों के हस्तांतरण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया एस बी ऑर्डर सं.- 11/2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि इस कार्यालय के पत्र सं. 25-11/2016 एफएस-सीबीएस के संदर्भ में जारी किया गया था। कोविड-19 महामारी से जुड़ी समस्याओं के दृष्टिगत इस कार्यालय को खाताधारकों से एनएसएस-87/एनएसएस-92 खातों को डाकघर (जहाँ उनका खाता है) से उनके मौजूदा निवास स्थान पर हस्तांतरण करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(2.) खाताधारकों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने सीबीएस डाकघरों में चल रहें एनएसएस-87 और एनएसएस-92 खातों को अन्य प्रधान डाकघर में हस्तांतरित करने कि अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(3.) एनएसएस-87 और एनएसएस-92 खातों के हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(i) यदि बंद योजना (एनएसएस-87/एनएसएस-92) का खाताधारक संबंधित मुख्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है, जहां उसका खाता है तो उसे खाते के हस्तांतरण के लिए आवेदन, निर्धारित खाता हस्तांतरण शुल्क, पास बुक, पहचान पत्र की प्रति, पेन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति अथवा पते के प्रमाण की प्रति निकट के प्रधान डाकघर में प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् पर्यवेक्षक केवाईसी दस्तावेजों का मूल दस्तावेज से मिलान करेगा और दस्तावेजों को सत्यापित करेगा।

(iii) पर्यवेक्षक एचएसीएलआई (HACLI) में खाते के शेष की जांच करेंगे और उसकी पासबुक में उपलब्ध शेष के साथ मिलान करेंगे।

(iv) पर्यवेक्षक फिनेकल में उपलब्ध हस्ताक्षर की हस्तांतरण आवेदन फॉर्म/ केवाईसी दस्तावेजों के साथ तुलना करेंगे।

(v) यदि फिनेकल में उपलब्ध शेष और हस्ताक्षर पासबुक/खाता हस्तांतरण आवेदन फॉर्म से मिलान हो जाता है तो पर्यवेक्षक निर्धारितानुसार खाता हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ करेगा।

(vi) यदि फिनेकल में शेष अथवा हस्ताक्षर पासबुक/खाता हस्तांतरण आवेदन से मेल नहीं हो पाता है तो संबंधित डाकघर खाता हस्तांतरण आवेदन, केवाईसी दस्तावेजों की विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां उस संबंधित प्रधान डाकघर को भेजेगा जहाँ खाता है (प्रधान डाकघर अथवा किसी उप डाकघर में जो खाते के क्षेत्राधिकार में आता हो)। ये सब पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे। उपरोक्त दस्तावेजों की एक प्रति भविष्य में संदर्भ के लिए हस्तांतरिती मुख्यालय में रखी जानी है।

(vii) स्थानांतरण आवेदन/केवाईसी दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात्, प्रधान डाकघर का पर्यवेक्षक, जहाँ खाता है, प्रधान डाकघर अथवा उप डाकघर में जो खातों के क्षेत्राधिकार में आता हो हस्तांतरण आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ अधिशेष का सत्यापन, हस्ताक्षर का सत्यापन उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ किया जाएगा।

(viii) अधिशेष एवम् हस्ताक्षर के सत्यापन के पश्चात्, सम्बन्धित प्रधान डाकघर का पर्यवेक्षक निर्धारितानुसार फिनेकल में खाता हस्तांतरण प्रक्रिया आरंभ करेगा। यह क्रियाकलाप सम्बंधित प्रधान डाकघर द्वारा हस्तांतरण आवेदन के प्राप्त होने के 07 कार्य दिवसों के अंदर पूर्ण की जानी है।

(ix) खाते के हस्तांतरण के संबंध में सूचना हस्तांतरणकर्ता प्रधान डाकघर द्वारा पंजीकृत डाक द्वारा हस्तांतरिती मुख्य डाकघर को भेजी जाएगी।

(x) खाते के हस्तांतरण के पश्चात्, खाताधारक खाता बंद करने के फार्म को जमा करते हुए अपने एनएसएस-87/एनएसएस-92 खाते को प्रधान डाकघर से बंद कर सकते हैं। भुगतान चेक द्वारा अथवा खाताधारकों के डाकघर बचत खाते में जमा करके किया जाएगा।

(xi) किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन/धोखाधड़ी से बचने के लिए खाते के हस्तांतरण/खाते को बंद करने से पहले आवश्यक सावधानी बरती जाए।

(4.) अनुरोध है कि यह एसबी ऑर्डर सुचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी सम्बन्धितों को परिचालित किया जाए।

(5.) इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रतिः-अंग्रेजी पाठ के अनुसार।